छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

क्रमांक / 1346 / गोप0 / 2021 रायपुर दिनांक 26/7/21

प्रति,

समस्त प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान /
बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान /
शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान छ0ग0

निर्देश

विषय :– वर्ष 2021 की डी.एल.एड. मुख्य परीक्षा प्रथम / द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा हेतु व्यावहारिक विषयों के आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन की व्यवस्था एवं अंक प्रेषण संबंधी निर्देश।

–00–

उपरोक्त विषयक निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान में कोविड–19 की परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुये डी.एल.एड. मुख्य परीक्षा वर्ष 2021 प्रथम / द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएँ संबंधित संस्थान स्तर पर अकादमिक सदस्यों के द्वारा प्रतिदिन 25–25 परीक्षार्थियों को बुलाकर कोविड–19 के नियमों का पालन करते हुये **दिनाँक 30.07.2021 से 07.08.2021 के मध्य संपन्न कराई जावे।** प्रायोगिक परीक्षाएँ आंतरिक एवं बाहय मूल्यांकन कार्य हेतु इस वर्ष बाहय परीक्षक की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है। संबंधित संस्थान स्तर पर ही आंतरिक परीक्षक नियुक्त किया जाये, सभी अधिकारी / कर्मचारी / परीक्षार्थी मास्क लगाकर आयेंगे, सेनेटाइज किया जाये, जिसमें सोशल डिस्टेंशिंग का पालन हो सके। इस हेतु निम्नानुसार आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें :–

1. आपका यह दायित्व होगा कि निर्धारित समयावधि में ही SCERT द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार संस्थान में व्यावहारिक मूल्यांकन के विभिन्न निर्धारित विषयो को अध्यापित करने वाले अध्यापको को ही आंतरिक परीक्षक नियुक्त कर डी0एल0एड0 प्रथम / द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम के व्यावहारिक विषयों की आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन कार्य संपन्न करायें। किसी छात्र का किसी भी स्थिति में अहित न हो, इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी।
2. डी.एल.एड. प्रथम वर्ष परीक्षा के 05 विषयों का बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन संबंधित संस्थान स्तर पर अकादमिक सदस्यों के द्वारा किया जावेगा।
3. डी.एल.एड. द्वितीय वर्ष परीक्षा के केवल 01 विषय–शाला अनुभव कार्यक्रम का बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन हेतु मण्डल द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षक की अनिवार्यता को इस वर्ष समाप्त किया गया है। 04 विषयों की भाँति ही विषय–शाला अनुभव कार्यक्रम का बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन भी संबंधित संस्थान स्तर पर अकादमिक सदस्यों द्वारा किया जावेगा।
4. डी.एल.एड. प्रथम वर्ष / द्वितीय वर्ष में 05 व्यावहारिक विषय है, जिनमें 20–20 अंक निर्धारित है।
5. आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन संबंधित संस्थान स्तर पर अकादमिक सदस्यों द्वारा किया जायेगा। मूल्यांकन में न्यूनतम उत्तीर्णांक 50 प्रतिशत है।
6. **प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न उपरांत निर्धारित अवधि में अंकों की ऑनलाइन प्रविष्टि दिनांक 10/08/2021 तक मण्डल के पोर्टल पर करें तथा इसकी 02 प्रतियाँ निकालकर संबंधित विषयों के आंतरिक परीक्षको से मिलान कराकर हस्ताक्षरित कराये, तत्पश्चात् पोर्टल लॉक करे। यह ध्यान रखे कि पोर्टल लॉक करने से पूर्व सभी प्रविष्टियों को अच्छी तरह जाँच लेवे, क्योकि पोर्टल लॉक करने के पश्चात संशोधन संभव नही होगा। पोर्टल लॉक करने के पूर्व आवश्यक संशोधन कर सकते है, पोर्टल लॉक करने के पश्चात कोई संशोधन हेतु मान्य नहीं होगा।**
7. परीक्षार्थियों से प्राप्त व्यावहारिक विषयों की बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन से संबंधित प्रपत्र, जिसके आधार पर मूल्यांकन किया गया है की प्रति, प्राप्तांको की सूची आंतरिक परीक्षक / प्राचार्य के हस्ताक्षर उपरांत लिफाफे में सीलकर परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 06 माह तक सुरक्षित रखे। आवश्यकतानुसार मण्डल द्वारा अभिलेख कभी भी मंगवाया जा सकता है।
8. डी.एल.एड प्रथम / द्वितीय वर्ष की व्यावहारिक परीक्षा में बाह्य एवं आंतरिक परीक्षकों को रु. 4.00 प्रति परीक्षार्थी एवं न्यूनतम रु. 100/– की दर से पृथक–पृथक भुगतान किये जाने का प्रावधान मण्डल द्वारा निर्धारित किया गया है।
9. न्यूनतम उत्तीर्णांक निम्नानुसार होगा :–
   डी.एल.एड. प्रथम / द्वितीय वर्ष में निर्धारित व्यावहारिक मूल्यांकन के विषयों में न्यूनतम उत्तीर्णांक 50 प्रतिशत है।
   जैसे:– 100 पूर्णांक में न्यूनतम प्राप्तांक 50
   50 पूर्णांक में न्यूनतम प्राप्तांक 25
   20 पूर्णांक में न्यूनतम प्राप्तांक 10
   उपरोक्तानुसार न्यूनतम अंक होगा।

26/7/21
(प्रोफेसर व्ही0के0 गोयल)
सचिव
छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

F:\Pravogik Newktinatra Ram.doc 13

पृ. कमांक / 1347 / गोपनीय / 2021 रायपुर, दिनांक 26 / 7 / 2021

प्रतिलिपिः—

1. अध्यक्ष महोदय / सचिव के निज सचिव, छ.ग.मा.शि.मं. रायपुर।
2. आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, रायपुर छ0ग0।
3. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर, छ0ग0।
4. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
5. समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी छ.ग.मा.शि.मं. रायपुर।
6. संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग, रायपुर / बिलासपुर / दुर्ग / अम्बिकापुर / जगदलपुर छत्तीसगढ़।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़।
8. समस्त सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग छ0ग0,

   की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
9. वित्त अधिकारी, छ.ग.मा.शि.मं. रायपुर की ओर भेज कर लिखा जाता है कि समस्त संस्थाओं को प्रायोगिक परीक्षा के संचालन हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायें।
10. सहायक सचिव, डाटा, गोपनीय, परीक्षा तथा संभागीय अधिकारी छ.ग.मा.शि.मं. राजनांदगांव, जगदलपुर, बिलासपुर, अम्बिकापुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. प्रोग्रामर, छ0ग0मा0शि0मण्डल रायपुर को भेजकर लिखा जाता है कि, समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान / बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान / शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान छ0ग0 को सूचना हेतु पत्र की प्रति मण्डल वेबासाईट / संबंधितो के संस्था आईडी में अपलोड करें एवं जिलेवार, परीक्षावार समस्त केन्द्रों द्वारा प्रायोगिक परीक्षा के अंकों के ऑनलाईन प्रविष्टि की 01 सी0डी0 तैयार कर परीक्षाफल घोषित होने के उपरांत गोपनीय कक्ष को सौंपे।

(हस्ताक्षर) 26.7.21

सचिव

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

रायपुर